सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2013-14

राजस्थान सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड़, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

www.ric.rajasthan.gov.in

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1–2
2.	राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	3–15
3.	अधिनियम का क्रियान्वयन	16–18
4.	संप्रेषण	19–21
5.	परिशिष्ट –1	22–25

प्रस्तावना

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया है कि 'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता' प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुॅचने का जो अर्थ है, उसे लेकर इस अधिनियम के माध्यम से, उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनो का अधिकाधिक उपयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन–जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहॉ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे ? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही हैं, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं अथवा नहीं ? यहां आवश्यक है सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार । अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्य कलाप एवं लेखा–जोखा नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था बन गई है। अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षो में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनो व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 में सूचना को सार्वजनिक करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था, उसे सूचना के अधिकार अधिनियम ने निष्प्रभावी कर दिया है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक

अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर था, इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं तक पहुँच के कारण नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिलेगी जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार होगा।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में केन्द्रीय सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक '' प्रगतिशील सहभागिता आधारित और सार्थक '' बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया, जिसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य समर्थकों को शामिल किया गया। उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर अगस्त 2004 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन की सिफारिशें सरकार को सौंपी गई। इसी वर्ष संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 11 मई, 2005 को लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धाराएँ 4(1), 5(1)(2) तथा 12,13,15,16,24,27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गई, जबकि शेष धाराएँ 12 अक्टूबर, 2005 से देश भर में प्रभावी हुई।

सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारें (जम्मू कश्मीर को छोडकर), स्थानीय शहरी निकाय, पंचायती–राज संस्थाएँ तथा उन सभी निकायों जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन है, पर लागू हो गया है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है, उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा गया है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है, जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है।

राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा बजट व अन्य सूचनाएं

(अ) गठन :–

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत् राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.06 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी.कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। दिनांक 1.9.2010 को सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। श्री एम0डी0 कौरानी का कार्यकाल दिनांक 17.4.2011 को पूर्ण हुआ तत्पश्चात द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी0 श्रीनिवासन को दिनांक 5.9.2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई। वर्तमान में भी श्री श्रीनिवासन मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर आयोग में कार्यरत हैं। आयोग एक वैधानिक निकाय है, जो कि पूर्णतया स्वायत्तशासी है तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।

आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार है:–

(ब)संगठनात्मक ढाँचा:–

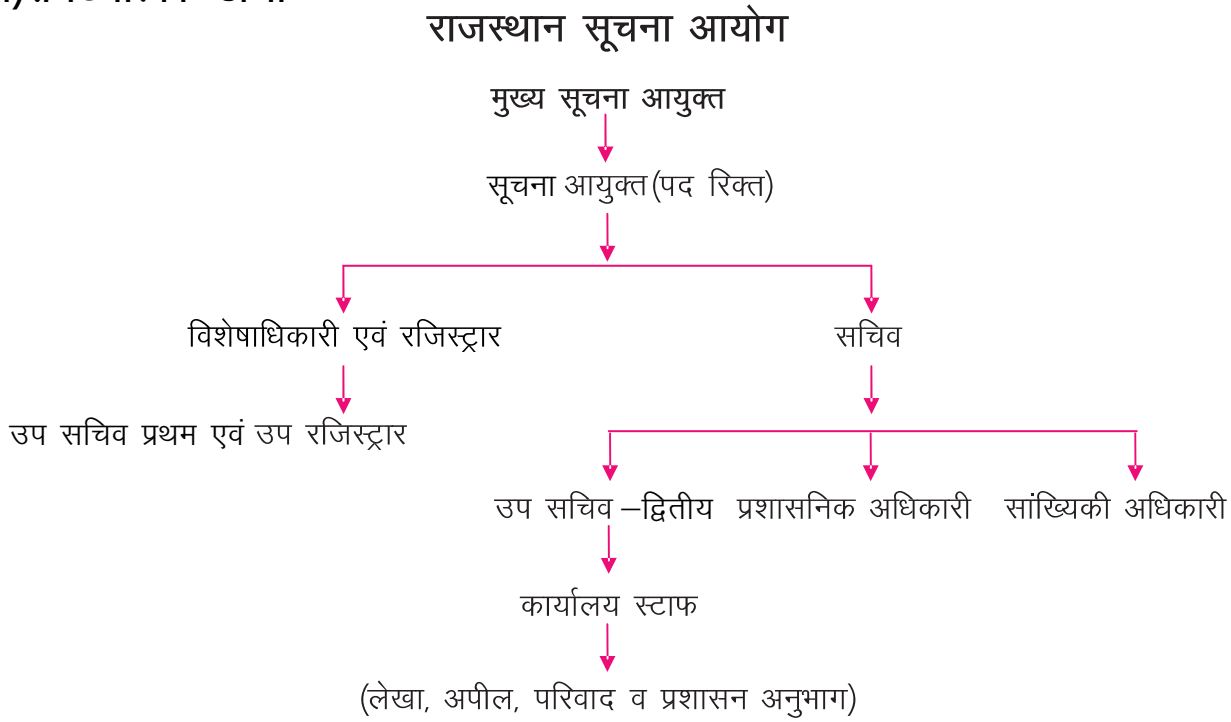

(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19 एवं 20 में सूचना आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादित करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ–साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्विति के लिये लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील/परिवाद पर दिये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन का वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है जिसे सरकार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करती है। राज्य सूचना आयोग मे निहित शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :–

(1) परिवाद संबंधी शक्तियाँ:– आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं–

(क) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या राज्य लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना के आवेदन को लेने से इंकार कर दिया है।

(ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से इंकार कर दिया है।

(ग) राज्य लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उससे मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।

(ड) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन अभिलेखों के लिये अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्यवाही करने में सक्षम है :–

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसको उपस्थित होने के लिये बाध्य करना, उसे मौखिक या लिखित सशपथ साक्ष्य देने और दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिये विवश करना;

(ख) किसी दस्तावेज की तलाशी और निरीक्षण करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या प्रतियां मंगवाना;

(ड़) साक्षियों अथवा दस्तावेजात के परीक्षण के लिये सम्मन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच मे लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से दी गई छूट की श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :–

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध दूसरी अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत सूचना आयोग को प्राप्त है।

सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील आदेश के पारित होने या आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस में की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज कर सकता है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य के प्रमाणीकरण का भार संबंधित लोक सूचना अधिकारी का होगा।

धारा 19(7) के तहत् सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

(3) शास्ति आरोपण की शक्तियाँ :–

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ आरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयोग की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण

(क) सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है, या

(ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या

(ग) सूचना आवेदन को बदनियती से अस्वीकार कर दिया है, या

(घ) जान–बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या

(ड़) सूचना आवेदन की विषय–वस्तु को नष्ट कर दिया है, या

(च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रूपये 250/– प्रतिदिन

की दर से शास्ति आरोपित कर सकता है जो अधिकतम रूपये 25000/– हो सकती है।

शास्ति आरोपित करने से पूर्व आयोग लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिये विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

यदि संबंधित सूचना आयोग की शिकायत या अपील का निर्णय करते समय यह धारणा बनती है तो वह लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा कर सकता है।

(4) अधिनियम की कियान्विति को सुनिश्चित करना :–

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग अधिनियम की कियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है:–

(1) विशिष्ट रूप में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्।

(2) राज्य लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में।

(3) कतिपय सूचना या श्रेणीवार सूचना प्रकाशित करवाने के संबंध में।

(4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में।

(5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध मे।

(6) अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में । 19(8)(क)(vi)

(7) राज्य सूचना आयोग, अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकारी से करवाने के निर्देश जारी कर सकता है। धारा 19(8)(ख)

अधिनियम की धारा 25(1) के अर्न्तगत उसे अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। यह वर्ष की समाप्ति पर प्रति वर्ष अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। सरकार उक्त प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखती है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती है:–

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या

(2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या

(3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम

(4) अधिकारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

(5) एकत्रित शुल्क की धन राशि

(6) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण

(7) सुधार के लिये सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हे सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :–

आयोग को वर्ष 2013–2014 के लिये राशि 137.24 लाख ''ग्रान्ट इन एड'' के रूप में आवंटित किया गया है, जिसमें से राशि 136.20 लाख का व्यय हुआ है।

(6) कार्यालय :–

आयोग का कार्यालय आयोग के गठन से अक्टूबर 06 तक योजना भवन में एवं नवम्बर 06 से हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (RIIPA) में था। दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 से वित्त भवन, जनपथ में संचालित हुआ तत्पश्चात् हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (RIIPA) परिसर में आयोग को आवंटित भूमि (2500 वर्ग मीटर) पर नवीन कार्यालय भवन निर्माण एवं फर्नीचर हेतु राशि 5.60 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नवीन भवन का लोकार्पण दिनांक 19. 4.2013 को किया गया। दिनांक 19.6.2013 से आयोग का कार्यालय यहां संचालित हो रहा है।

(7) नियमावली :–

राजस्थान सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के प्रबन्धन के लिये राजस्थान सूचना आयोग (प्रबन्ध) विनियम 2007 बनाये गये हैं।

(8) क्रियान्विति :–

राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धाराऐं 18, 19, 20 व धारा 25 के अर्न्तगत प्रभावी कार्यवाही की है व आवश्यक कदम उठाये हैं। राजस्थान में आयोग की स्थापना से लगभग सात वर्ष की इस अवधि में पूरे राज्य में लोक

अधिकरणों की स्थापना व उन्हे अधिनियम की भावना के अनुरूप जागृत व कार्यरत करने में सफलता प्राप्त हुई एवं उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को जन–जन तक पहुँचाया। इसी प्रभावशाली प्रचार–प्रसार का ही परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में इस अधिनियम के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। परिणामस्वरूप वर्ष 2013–2014 में '' सूचना के अधिकार'' को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलो की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–

परिवादों की प्रगति की विवरणिका

अवधि	अवधि के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	अवधि के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष शिकायतों की संख्या
अप्रैल, 2013	33	23	699
मई, 2013	30	78	651
जून, 2013	29	80	600
जुलाई, 2013	21	86	535
अगस्त, 2013	53	53	535
सितम्बर, 2013	27	85	477
अक्टूबर, 2013	23	115	385
नवम्बर, 2013	53	70	368
दिसम्बर, 2013	48	106	310
जनवरी, 2014	40	80	270
फरवरी, 2014	108	75	303
मार्च, 2014	68	78	293
योग	**533**	**929**	

वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 16.4.2013 तक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में आयोग में परिवादों की सुनवाई नहीं हुई ।

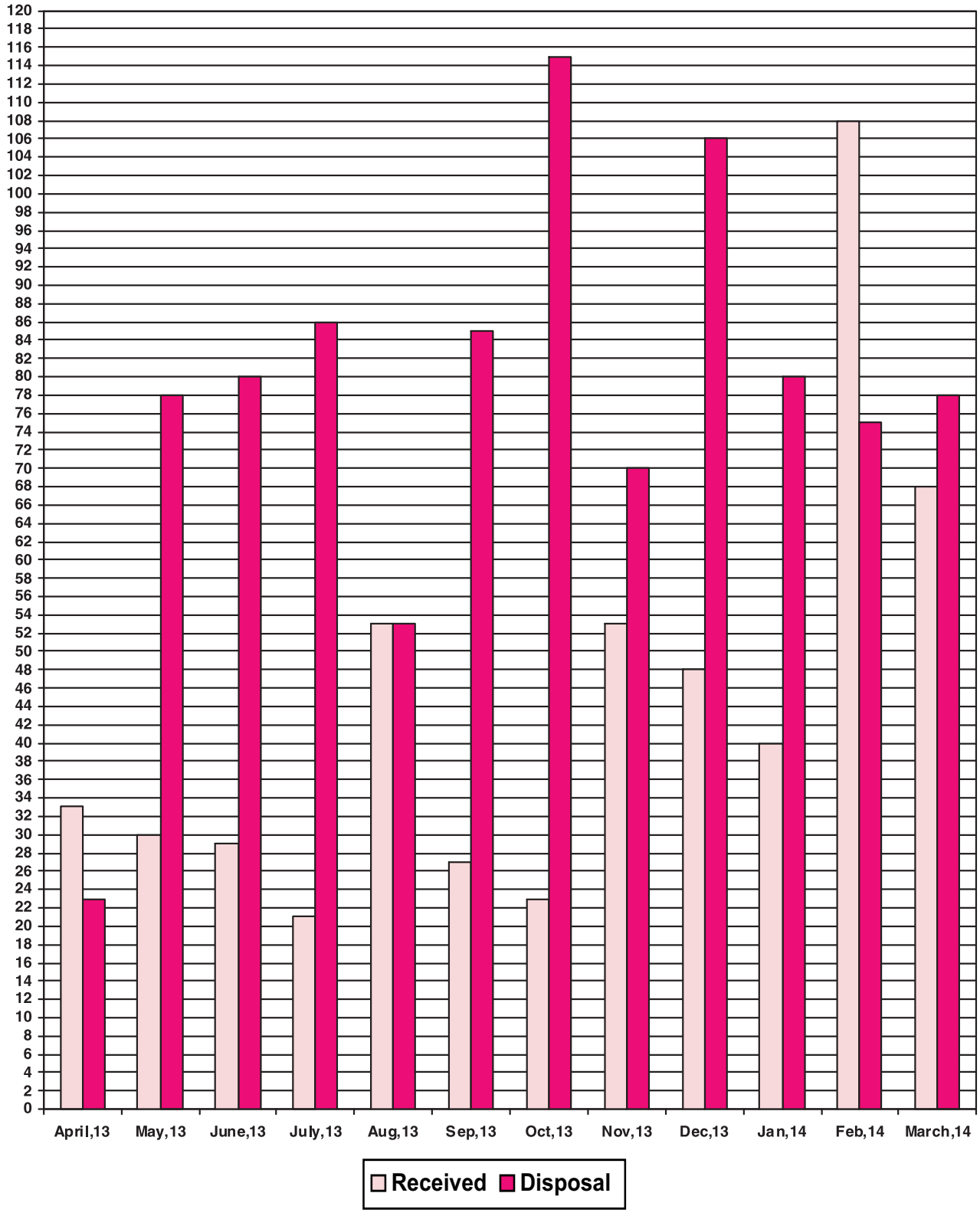

Progress of Complaints

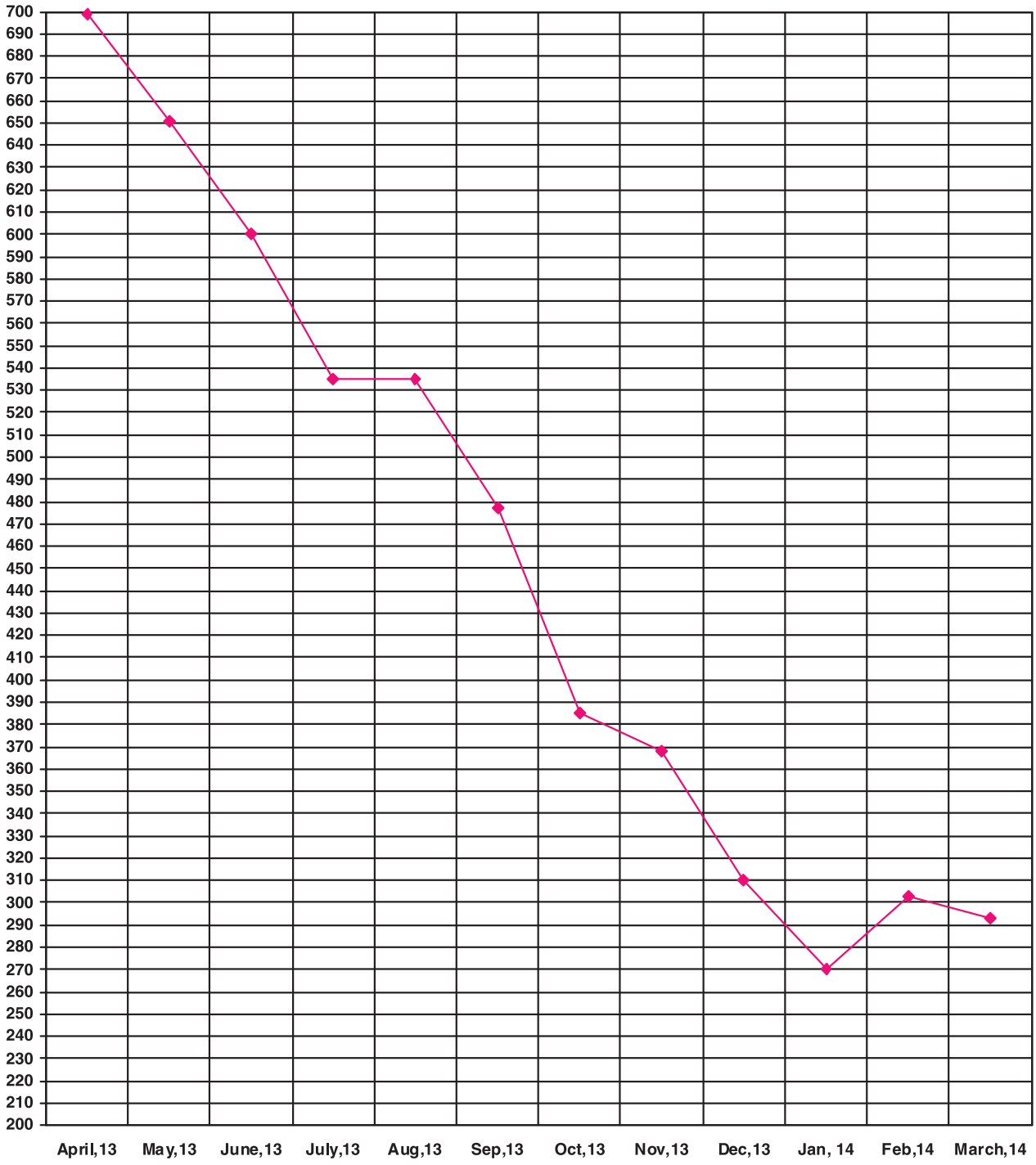

Progress of Pending Complaints

अपील

वर्ष 2013–2014 में अपीलों का मासिक विवरण निम्नानुसार है :–

अपील की प्रगति की विवरणिका

अवधि	अवधि के दौरान प्राप्त अपीलों की संख्या	अवधि के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
अप्रैल, 2013	416	122	13947
मई, 2013	493	582	13858
जून, 2013	426	473	13811
जुलाई, 2013	341	606	13546
अगस्त, 2013	353	334	13565
सितम्बर, 2013	262	502	13325
अक्टूबर, 2013	269	441	13153
नवम्बर, 2013	712	343	13522
दिसम्बर, 2013	714	503	13733
जनवरी, 2014	476	535	13674
फरवरी, 2014	655	463	13866
मार्च, 2014	719	514	**14071**
योग	**5836**	**5418**	

वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 16.4.2013 तक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में आयोग में अपीलों की सुनवाई नहीं हुई ।

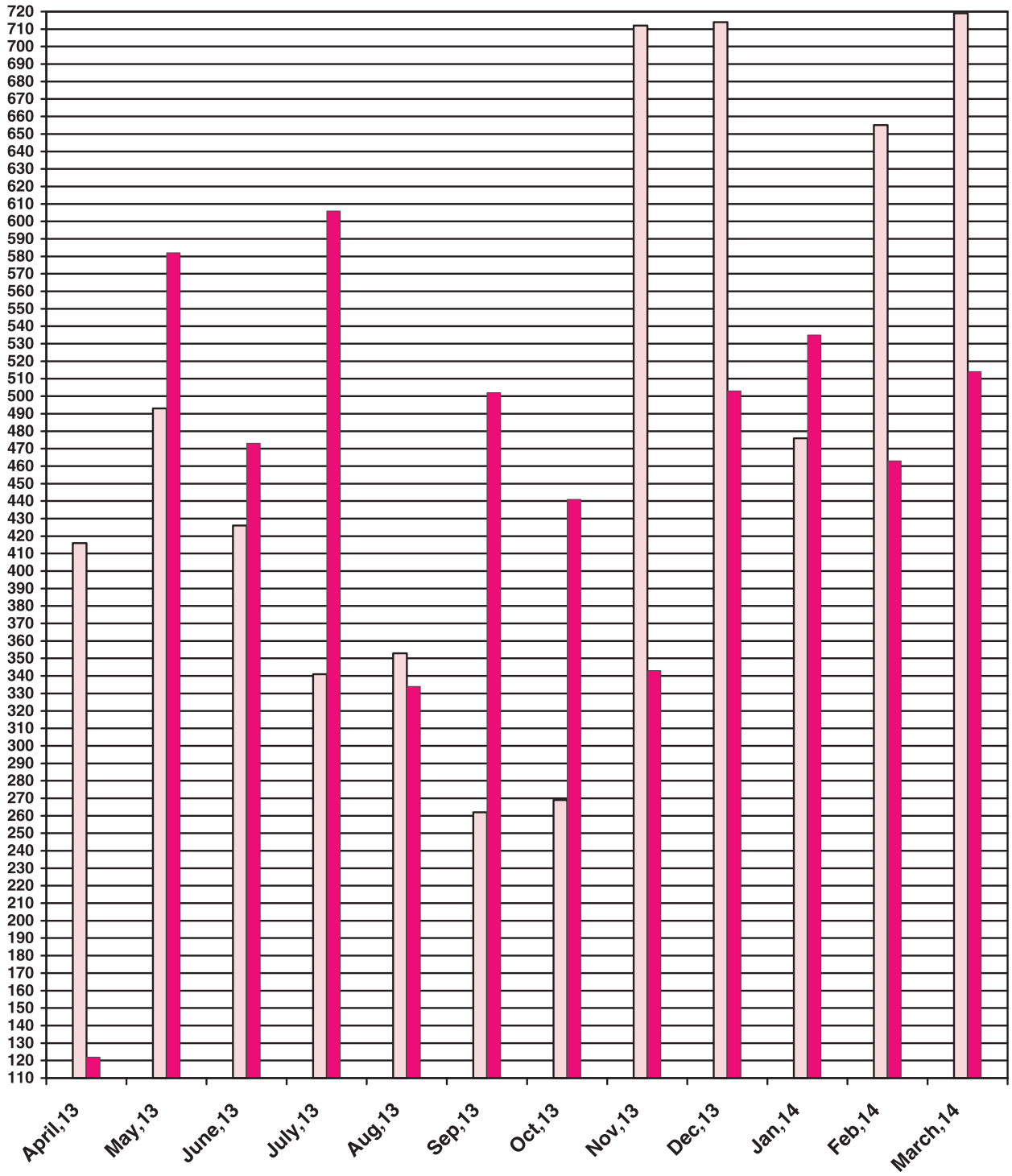

Progress of Appeals

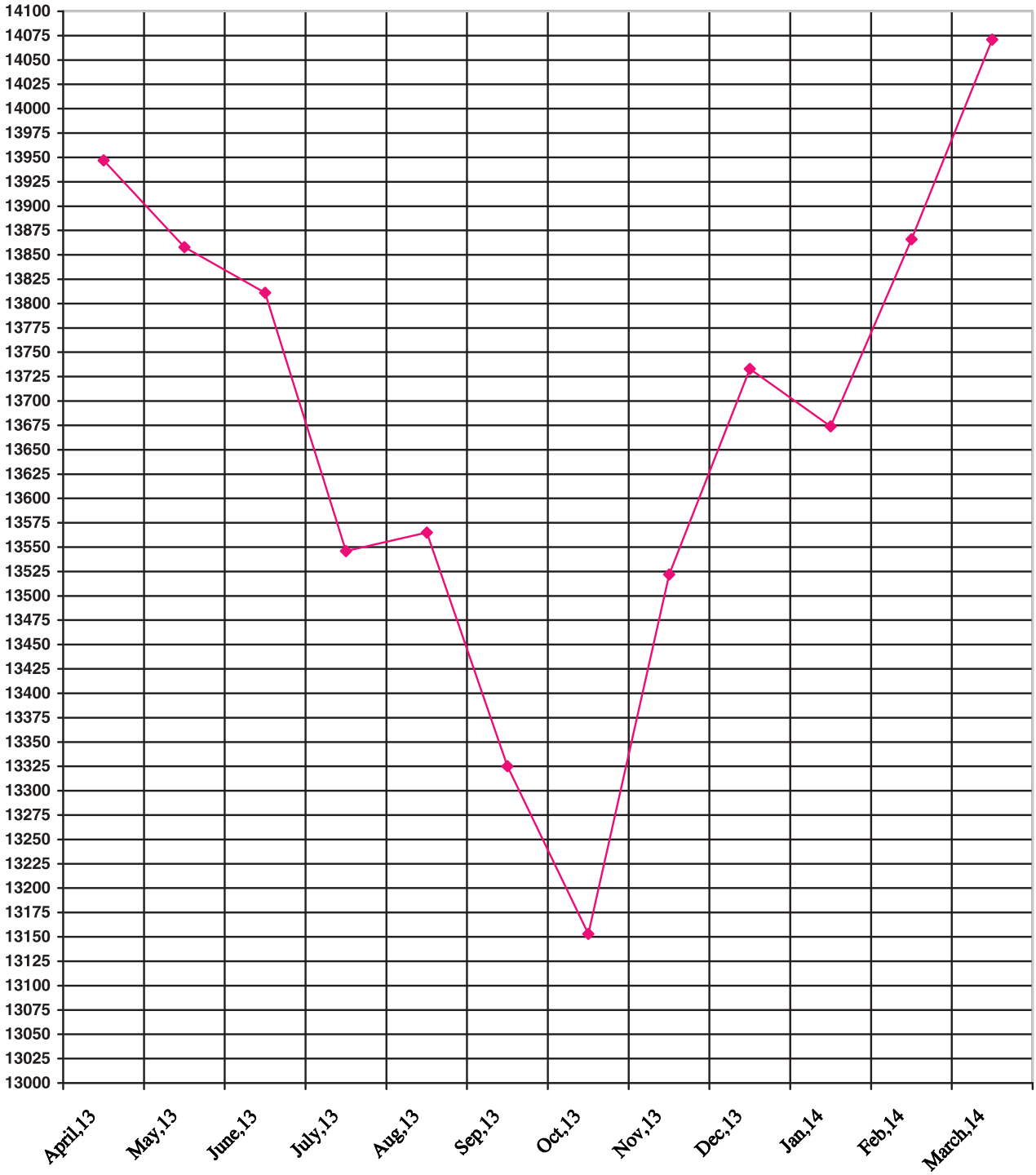

Progress of Pending Appeals

(9) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) में प्रदत्त प्रथम अपीलीय आदेश पर देय सूचना प्रदान कराने के लिये अभिनव प्रयोग :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत संस्थित प्रथम अपीलों के निर्णयों से संतुष्ट न होने पर या उसकी पालना न होने पर धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील या धारा 18(1) के तहत परिवाद आयोग में प्रस्तुत होते है।

प्रथम अपीलों के निर्णयों के तहत सूचना संबंधित अपीलीय अधिकारी/राज्य लोक सूचना अधिकारीगणों द्वारा प्रेषित नहीं कराने पर राहत प्राप्त करने के लिये आयोग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते है, जिस पर आयोग में प्रथमतः विविध प्रार्थना पत्र (Miscellaneous Application) दर्ज कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि परिवाद दर्ज करने के लिये प्रथम दृष्टया मामला तो नहीं बनता है। यह कार्यवाही सचिव, राज्य सूचना आयोग द्वारा की जाती है।

इस प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2013–14 में 150 प्रकरणों में सूचना प्रदान करवा दी गई है एवं 333 मामलों में सूचना न मिलने पर या प्रदत्त सूचना से परिवादी के सन्तुष्ट नहीं होने की स्थिति में धारा 18(1) के तहत परिवाद पंजीकृत किये गये है।

(10). लोक सूचना अधिकारी :– पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने अपने लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों को पदनामित करने के निर्देश दिये गये। प्रायः सभी विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ इस स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश कर जारी कर दिये हैं।

''सूचना के अधिकार'' कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, (H.C.M. RIPA) इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (RICEM) व अन्य संस्थायें हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

स्वायत्तशासी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों के पंचों/सरपंचों/ पंचायत समितियों के प्रधानों आदि के प्रशिक्षण हेतु भी समुचित आदेश प्रदान किये गये।

(10). शास्ति एवं क्षतिपूर्ति

आयोग द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्यवाही न करने पर आलोच्य वर्ष 2013–2014 में आरोपित शास्ति एवं लगाई गई क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है :–

विवरण	शास्ति (रूपयों में)		क्षतिपूर्ति (रूपयों में)	
	आरोपित	जमा राशि	लगाई गई	भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
अपील / परिवाद	80,00,000	19,71,588	2,65,000	86,000

शास्ति की प्रभावी वसूली एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान कराने हेतु किये जाने वाले प्रयास :–

सूचना आयोग के निर्णयानुसार आरोपित शास्ति राशि आयोग में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति राशि का अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु विभागों को कई स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी राशि जमा नहीं कराई जाती है। अतः उक्त अधिरोपित राशि को आयोग में जमा कराने तथा क्षतिपूर्ति राशि का सम्बन्धित अपीलार्थी को भुगतान कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही हो सके, इसके लिये सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखे गये हैं।

साथ ही शास्ति एवं क्षतिपूर्ति की प्रभावी वसूली / अदायगी हेतु विभिन्न विभागों की ऑडिट के दौरान अंकेक्षण अनुच्छेद (audit par) के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु सुझाव है।

अधिनियम का क्रियान्वयन

वर्ष 2005 में बने ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' के सम्पूर्ण देश में लागू हो जाने पर, राजस्थान ने अपने तत्सम्बन्धी नियम **'राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005'** दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी.कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति/पदस्थापन हुआ है। प्रशासनिक कार्य की समुचित व्यवस्था, परिवादों व अपीलों की प्राप्ति, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही लेखों का उचित संधारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे0 एल0 एन0 मार्ग, जयपुर के परिसर में अन्तरिम व्यवस्था की गई। आयोग के स्वतन्त्र भवन के निर्माण हेतु झालाना लिंक रोड़ पर हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में राज्य सरकार द्वारा 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है जिस पर नवीन भवन निर्मित होने पर आयोग का कार्यालय दिनांक 19.6.2013 को यहां स्थानांतरित किया गया है।

राज्य सरकार व सूचना आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप सचिवालय स्तर पर उप सचिवों/संयुक्त शासन सचिवों को अपने–अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उन पर अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों हेतु भी लोक सूचना अधिकारीगणों व उनके अपीलेट अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को अपील अधिकारी बनाया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्तगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/सभापति/महापौर अपील अधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के सचिव/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख अपील अधिकारी हैं। सहकारी बैंकों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य

सरकार द्वारा वित्त पोषित सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत समस्त संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारी व अपील अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं। जहाँ नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर यह प्रयास सराहनीय रहा, वहीं आज भी आशा की जाती है कि हर विभाग अपनी–अपनी स्थिति के अनुरूप एक सीमा रेखा (Cutting Edge Level) अंकित करेगा, जहाँ तक उसका प्रतिनिधि '' लोक सूचना अधिकारी '' उपलब्ध होकर, सूचना हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, सूचना उपलब्ध करायेगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम–पट्ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें कि हर नागरिक को यह ज्ञान हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को आदिनांक बनाकर उसका स्वयंमेव प्रकाशन करावें व वेबसाइट पर दें, ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। कई विभाग, जैसे–शिक्षा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संस्कृत विभाग व कुछ अन्य ने अत्यन्त विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर प्रसारित की हैं, जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती है। धारा 4 के अर्न्तगत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। ज्यादातर विभागों ने इस नियम की अनुपालना की है। कई विभागों को यह नहीं मालूम कि उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारीगण राजकीय निर्देशानुसार ''सूचना के अधिकार अधिनियम'' की आवश्यकताओं/व्यवस्थाओं हेतु प्रशिक्षित भी हुए अथवा नहीं, जिस हेतु उनके स्वयं के नीति निर्देश हैं। उनके लिये नियमित रूप से यह भी आवश्यक है कि वे जानें कि उनके विभाग में समय–समय पर कितने परिवाद/अपील आये, कितने निर्णित हुए व कितने समयावधि निकल जाने के पश्चात् भी लम्बित हैं। यह जिम्मेवारी सचिव/विभागाध्यक्ष स्तर पर ही ली जानी होगी, नीचे के किसी अधिकारी पर इस विषयक निर्भरता व्यावहारिक नहीं होगी।

राज्य सरकार के विभिन्न लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थना पत्र, प्रथम अपील व उनके निस्तारण की स्थिति **परिशिष्ट – 1** पर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर

संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्व हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुगम बनाया जा सके ।

धारा 4(1) (ख) लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओं को स्वयं ऐच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी से विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन ना किया हो। आयोग द्वारा इसकी क्रियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग (नोडल विभाग) द्वारा प्रारूप (template) बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये गये एवं उनके द्वारा इस हेतु सभी लोक प्राधिकरणों की प्रगति की समीक्षा भी की गई है।

सूचना चाहने वाले नागरिकों को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की एक निर्देशिका बनाने के लिए निर्देश दिये गये थे एवं कुछ जिलों में यह मामूली कीमत पर देने के लिए तैयार की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम आने के उपरांत वर्षो से व्याप्त गोपनीयता का तानाबाना लिए अधिकारियों की सोच मे परिर्वतन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात इस अल्प समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे से तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की क्रियान्विति संतोषजनक है।

संप्रेक्षण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके पश्चात् लगभग आठ वर्ष का समय यह अधिनियम देख चुका है। सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों के बीच परिवादों/अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाईयों व समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान होता रहा है। इन्ही चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है। इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाऐं भी जागी हैं। जनता इस अधिनियम को उनके व विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत सूचनाओं की मॉग कर रहे हैं।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहॉ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है किन्तु जिस सूचना को देने में पुराने रिकॉर्ड की छानबीन करनी पड़े या फिर अनेकों पत्रावलियों को देखकर उनमें से तथ्य एकत्रित करने की आवश्यकता हो, वहॉ यह पाया जा रहा है कि अधिकारी/कर्मचारीगणों में कुछ अनचाहेपन या टालमटोल की मानसिकता है।
4. वस्तुतः सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्कता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके व लाभ उठावे। इस दिशा में राजकीय स्तर पर और विशेष प्रयास किये जाने चाहिये। गैर–राजकीय संगठन भी इस क्षेत्र में अपना योगदान देने हेतु आगे आये हैं पर उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित होने के कारण उन्हे ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। वस्तुतः यदि इस अधिकार को व्यापक रूप दिया जाना है तो सरकार को इस दिशा में अपनी ओर से भी कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे।
5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारीगण की नियुक्ति के बिन्दु पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित भी हो। आठ वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी हर वांछित स्तर पर लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित नहीं हुआ है। उनकी नियुक्ति से लेकर उनका व्यावहारिक रूप से पूर्णतया प्रशिक्षित होना तथा अन्त में उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश होना आज की पहली आवश्यकता है।

6. राज्य के अनेक लोक सूचना अधिकारीगणों तथा ऐसे सभी स्तरों तक, जिनका अधिकार के इस अधिनियम के अर्न्तगत कदम उठाने व कार्यवाही करने से संबंध है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक पुस्तक/पुस्तिकाएँ, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नहीं पहुँच पाई है, जिसके अभाव में उनका इस विषय का आदिनांक ज्ञान अधूरा सा है। इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत जिन लोक सूचना अधिकारीगणों से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान ही नही दे रहे। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे हैं, जिन्हें विषय की विधिक बारीकियों का वह ज्ञान नहीं होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है।

8. सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रकरण की '' प्रथम अपील '' एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस विषयक वस्तु:स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि '' प्रथम अपील '' के निपटारे की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। प्रथम अपील सुनने वाले लोक अधिकारीगण अपने यहॉ लम्बित प्रकरणों को या तो निपटा ही नही रहे हैं, या फिर यह निपटारा नियमों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप प्रार्थीगण मजबूर होकर राज्य आयोग के सम्मुख '' दूसरी अपील '' ले जा रहे हैं, जहाँ इसकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

9. राज्य सरकार के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया तथा इसके समुचित पर्यवेक्षण व मोनिटरिंग हेतु इस विभाग में एक डेडीकेटेड सैल भी गठित किया गया है जो कि अधिनियम की क्रियान्विति में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। इस डेडीकेटेड सैल का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस सैल द्वारा सभी जिलों में जिला कलेक्टरों के यहां जिला स्तरीय अधिकारियों (राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी) की बैठक रखी जाती है। बैठक में अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की क्रियान्विति के विषय में अधिनियम के प्रावधानों/भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों की जानकारी देकर उनकी कठिनाईयों व शंकाओं का समाधान आपसी विचार विमर्श के द्वारा किया जायेगा। जिससे उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने में सहायता प्राप्त हो व इस कार्य में उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो सके। यह सैल निरीक्षण व समीक्षा का कार्य भी करेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विषय में कोई जानकारी अधिकारियों/आमजन के लिये उपलब्ध नहीं थी। गत वर्ष विभाग ने वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ–साथ राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों/परिपत्रों को उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त अपील अधिकारी व लोक सूचना अधिकारियों के उपयोगार्थ ''हस्तपुस्तिका'' तैयार कर उसे भी उपलब्ध कराया गया तथा यह कार्य निरन्तर किया जा रहा है। जिससे अधिकारीगण अधिनियम की भावना के अनुरूप उचित रूप से कार्य कर सकें।

10. अधिनियम की धारा – 4 (1) में यह प्रावधान है कि हर लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड

का उचित संधारण करेगा, बल्कि यह भी कि वह उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता को अवलोकनार्थ उपलब्ध करावेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी ''वेबसाईट'' पर कुछ सूचनाएँ उपलब्ध कराई हैं, परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आम आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन ' वेबसाईट्स ' में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हें समय समय पर आदिनांक (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। तीसरे, अनेक सूचनाओं को निर्धारित छपे हुए रूप में फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है, जानकारी हेतु खुले में नहीं आ पाया है।

11. अधिनियम की धारा 2 (ज)घ(ii) में उल्लिखित ''गैर सरकारी संगठन'' जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारभूत रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि द्वारा वित्त पोषित है, वे इसमें प्रावधित व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेक संस्थाऐं हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं।,

12. यह कि विभागों द्वारा अपने–अपने ''रिकॉर्ड्स'' का सही रख–रखाव न रखे जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना–पत्रों पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्ड्स, निगम, आयोग, समितियों आदि के अभिलेखों के सुरक्षित संधारण, प्रबन्धन आदि के लिये राजस्थान में भी भारत सरकार व अन्य कुछ राज्यों में प्रचलित पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट की तरह राजस्थान स्टेट पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जैसे कानून शीघ्र बनाने का सुझाव है।

जैसे–जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम परिपक्वता की धारणा लिए हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु परिलक्षित हो रहा है एवम् यह अधिकार उन्हें धरातल का अनुभव करा रहा है। जहाँ अधिकारियों की रिकॉर्ड पर पकड़ नहीं है वहाँ अधिकारी/कर्मचारीगण इसके लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में गर्भित उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही व खुलापन में उत्तरोतर विकास होगा, जो कि प्रजातन्त्र के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।

13. राजस्थान सूचना आयोग में मानव संसाधन का अत्यन्त अभाव है जिससे इसका प्रभाव इसकी कार्यशैली पर पडता है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व दो सूचना आयुक्त सहित कुल 67 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 41 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें से 12 स्थायी एवं 29 सेवानिवृत्त/संविदा आधार पर हैं। अवशेष पद रिक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, की धारा 16(6) के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हो। अतः आयोग में बढते कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रभावी कार्य किये जाने हेतु राज्य सरकार को आयोग में कार्मिकों की भर्ती हेतु विशेष भर्ती नियम बनाने हेतु सुझाव प्रेषित किये गये है जो कि राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इनका शीघ्र अनुमोदन राज्य सरकार से अपेक्षित है।

सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2013-14)

प्रपत्र – क

क्र. सं.	विभाग	प्राप्त परिवाद			सूचनाएँ प्रदत्त		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2013-14 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद			
1	राजस्व मण्डल	678	656	22	626	43	3	6	14428
2	समेकित बाल विकास विभाग	887	448	439	847	19	19	2	18265
3	विभागीय जांच	11	9	2	11	0	0	0	166
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	2918	1961	957	2169	360	87	302	49718
5	आयुर्वेद विभाग	857	734	123	565	218	16	58	18335
6	गृह विभाग	40318	27562	12756	37618	847	1113	740	862086
7	वित विभाग	8041	6566	1475	7859	84	70	28	168314
8	पर्यावरण	41	41	0	41	0	0	0	764
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	560	560	0	174	241	0	145	3926
10	अल्प संख्यक मामलात	447	436	11	386	42	2	17	6773
11	जयपुर विकास प्राधिकरण	10036	10036	0	4364	3109	1308	1255	754017
12	ग्रामीण विकास विभाग	75	75	0	75	0	0	0	790
13	राज0 राज्य पाठयपुस्तक मण्डल	9	9	0	9	0	0	0	220
14	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	1178	1178	0	897	190	0	91	11580
15	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	154	154	0	130	24	0	0	1610
16	राज0 शिक्षा कर्मी बोर्ड	2	2	0	2	0	0	0	20
17	राजस्थान निर्वाचन आयोग	75	75	0	72	0	3	0	830
18	आयोजना विभाग	107	0	107	75	6	0	26	2392
19	एच.सी.एम. रीपा	33	24	9	32	1	0	0	1354
20	विधि विभाग	262	262	0	182	35	45	0	4162
21	उर्जा विभाग	9194	8526	668	6295	1594	37	1268	157770
22	उद्योग विभाग	1927	1108	819	1520	235	55	117	86201
23	जल संसाधन विभाग	1507	1175	332	1334	66	81	26	152144
24	तकनीकी शिक्षा विभाग	800	662	138	761	24	12	3	18118
25	राजभवन, जयपुर	422	422	0	422	0	0	0	2759
26	सामान्य प्रशासन एवं मन्त्रिमण्डल विभाग	1201	1200	1	1145	41	0	15	10740
27	राजस्थान लोक सेवा आयोग	5155	5155	0	2981	559	1400	215	91638
28	जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग	61	35	26	57	3	0	1	400
29	सहकारिता विभाग	3572	3204	368	3269	145	79	79	108677

क्र. सं.	विभाग	प्राप्त परिवाद			सूचनाएँ प्रदत्त		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2013-14 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद			
30	राजस्थान आवासन मण्डल	5189	4900	289	4783	25	9	372	95634
31	कृषि विभाग	1945	1511	434	1761	156	12	16	96409
32	सार्वजनिक निमाण विभाग	2943	2093	850	2620	178	38	107	104853
33	आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग	17	17	0	17	0	0	0	336
34	नगर निगम, जयपुर	4241	4194	47	3014	699	129	399	92424
35	श्रम एवं नियोजन विभाग	323	285	38	256	37	21	9	14878
36	पर्यटन विभाग	185	177	8	183	0	1	1	7488
37	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1553	1262	291	1214	174	31	134	11212
38	राजस्थान सूचना आयोग	828	828	0	827	1	0	0	9879
39	उच्च शिक्षा विभाग	649	649	0	184	462	0	3	12401
40	देवस्थान विभाग	1036	849	187	973	43	16	4	56321
41	वन विभाग	2726	2275	451	2245	165	107	209	89283
42	निर्वाचन विभाग	778	463	315	717	30	5	26	11505
43	राज्य महिला आयोग	178	178	0	178	0	0	0	3634
44	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	65	65	0	49	16	0	0	520
45	कार्मिक विभाग	1908	1908	0	1897	2	8	1	214680
46	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	2856	2296	560	2254	224	88	290	183750
47	चिकित्सा शिक्षा विभाग	2328	2143	185	1954	306	24	44	100695
48	संस्कृत शिक्षा विभाग	377	239	138	370	0	5	2	7505
49	परिवहन विभाग	5430	5140	290	4153	783	40	454	63264
50	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	524	468	56	400	118	5	1	20874
51	सम्पदा विभाग	47	27	20	47	0	0	0	832
52	पशुपालन विभाग	489	489	0	295	174	0	20	12274
53	सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	208	191	17	190	11	0	7	9805
54	उद्यान निदेशालय	231	176	55	231	0	0	0	20380
55	आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली	13	13	0	8	0	1	4	120
56	खाद्य विभाग (मुख्यालय स्तर से)	158	158	0	158	0	0	0	3270
57	सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	344	344	0	214	0	0	130	3350
58	कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग	51	35	16	48	3	0	0	852
59	युवा एवं खेल मामले विभाग	80	80	0	28	52	0	0	1450
60	लोकायुक्त सचिवालय	159	159	0	159	0	0	0	3630
61	नगरीय विकास विभाग (स्वायत शासन विभाग को छोडकर)	592	592	0	562	30	0	0	5100
62	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	697	429	268	124	324	49	200	4290
63	शिक्षा विभाग	10512	9728	784	6721	2021	267	1503	114002
64	प्रशासनिक सुधार विभाग	351	351	0	346	0	5	0	5650
	कुल योग	**140539**	**116987**	**23552**	**113098**	**13920**	**5191**	**8330**	**3930747**

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2013-14)

प्रपत्र –ख

क्र.	विभाग	कुल योग	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल	39	30	6	3
2	समेकित बाल विकास विभाग	65	65	0	0
3	विभागीय जांच	0	0	0	0
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	235	223	3	9
5	आयुर्वेद विभाग	117	117	0	0
6	गृह विभाग	1685	901	717	67
7	वित विभाग	578	526	34	18
8	पर्यावरण	1	0	1	0
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	55	27	28	0
10	अल्प संख्यक मामलात	9	4	5	0
11	जयपुर विकास प्राधिकरण	1845	1036	678	131
12	ग्रामीण विकास विभाग	2	2	0	0
13	राज0 राज्य पाठयपुस्तक मण्डल	0	0	0	0
14	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	58	0	57	1
15	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	13	2	9	2
16	राज0 शिक्षा कर्मी बोर्ड	0	0	0	0
17	राजस्थान निर्वाचन आयोग	0	0	0	0
18	आयोजना विभाग	2	2	0	0
19	एच.सी.एम. रीपा	0	0	0	0
20	विधि विभाग	48	3	45	0
21	उर्जा विभाग	1092	641	244	207
22	उद्योग विभाग	388	265	81	42
23	जल संसाधन विभाग	43	37	6	0
24	तकनीकी शिक्षा विभाग	94	67	18	9
25	राजभवन, जयपुर	13	0	13	0
26	सामान्य प्रशासन एवं मन्त्रिमण्डल विभाग	75	72	1	2
27	राजस्थान लोक सेवा आयोग	503	216	233	54
28	जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग	6	5	1	0
29	सहकारिता विभाग	201	189	9	3
30	राजस्थान आवासन मण्डल	393	292	80	21

क्र.	विभाग	कुल योग	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
31	कृषि विभाग	80	63	15	2
32	सावर्जनिक निमाण विभाग	154	147	4	3
33	आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग	1	0	1	0
34	नगर निगम, जयपुर	1051	612	336	103
35	श्रम एवं नियोजन विभाग	44	20	21	3
36	पर्यटन विभाग	14	14	0	0
37	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	89	78	8	3
38	राजस्थान सूचना आयोग	52	32	20	0
39	उच्च शिक्षा विभाग	139	132	0	7
40	देवस्थान विभाग	98	50	48	0
41	वन विभाग	241	193	35	13
42	निर्वाचन विभाग	41	34	2	5
43	महिला आयेाग	1	1	0	0
44	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	10	9	1	0
45	कार्मिक विभाग	143	143	0	0
46	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	121	25	47	49
47	चिकित्सा शिक्षा विभाग	322	229	93	0
48	संस्कृत शिक्षा विभाग	128	127	1	0
49	परिवहन विभाग	367	367	0	0
50	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	16	16	0	0
51	सम्पदा विभाग	4	2	2	0
52	पशुपालन विभाग	56	53	0	3
53	सिंचित क्षैत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	20	16	2	2
54	उद्यान निदेशालय	2	2	0	0
55	आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली	0	0	0	0
56	खाद्य विभाग (मुख्यालय स्तर से)	61	61	0	0
57	सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय	118	118	0	0
58	कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग	0	0	0	0
59	युवा एवं खेल मामले विभाग	5	5	0	0
60	लोकायुक्त सचिवालय	25	6	19	0
61	नगरीय विकास विभाग (स्वायत शासन विभाग को छोडकर)	103	103	0	0
62	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	177	168	6	3
63	शिक्षा विभाग	1498	1157	141	200
64	प्रशासनिक सुधार विभाग	108	90	18	0
	कुल योग	**12849**	**8795**	**3089**	**965**

समोऽतं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः

श्रीमद्भगवतगीता

अर्थात्

मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ।
मैं सभी के लिये समभाव हूँ।